



कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, गाजियाबाद।

पत्रांक: 897/14-1, दिनांक, गाजियाबाद 4 सितम्बर, 2020

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
हापुड़ वन प्रभाग,
हापुड़

विषय: गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा गंगा कैनल मील 106.775 से 107 तक क्षेत्रफल 0.144 हे० एवं 14 वृक्षों के पातन एवं जनपद हापुड़ के अन्तर्गत अपर गंगा कैनल मील 107 से 107.984 तक सालिड वेस्ट मैनेजमेंट हेतु लिंक मार्ग के निर्माण हेतु 000.6716 हे० एवं बाधक 91 वृक्षों के पालन कुल 0.8156 हे० संरक्षित वनभूमि के हस्तान्तरण एवं कुल बाधक 105 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: भारत सरकार की पत्र सं०-8बी/यू०पी०/०६/102/2019/एफ०सी०/481, दिनांक 7.01.2020।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में वांछित अनुपालन आख्या निम्नानुसार प्रेषित है।

Observe No.	Observation of GOI	Reply
1	Certificate of DFO indicating suitability of land proposed for Compensatory Afforestation shall be submitted.	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा अपने पत्रांक 155/4/ई०ई० जोन-5/2020 दिनांक 20.08.2020 द्वारा मधुवन बापूधाम आवासीय योजना में 0.8156 हे० ग्रीन बेल्ट हेतु आरक्षित भूमि को वन विभाग के देने हेतु सहमति प्रदान की गयी है। तथा उक्त भूमि वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न है।
2	Since the user agency is State Government as recommended by DFO. CA to be taken up on equivalent Non Forest Land (NFL) instead of degraded Forest land. Accordingly revised CA scheme of plantation on 0-8156 ha. of NFL shall be submitted.	उक्त भूमि में आने वाले व्यय 10 वर्षों अनुसूचन सहित प्राक्कलन संलग्न कर प्रेषित है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त प्रकरण पर विधिवत स्वीकृति प्राप्त करने हेतु उच्च स्तर को लिखने की कृपा करें।
संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीया

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
गाजियाबाद

पत्रांक : / दिनांकित

प्रतिलिपि वन संरक्षक मेरठ वृत्त मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
गाजियाबाद